न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 101/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/169

उनवान

1. जगदीश } पिस0 स्व. लहरीचरन
2. रामजीलाल
3. उदयभान } पुत्रान स्व. चन्द्रभान
4. धनेष
5. सूरजभान
6. रूक्मणि पत्नी स्व. चन्द्रभान

(उपरोक्त सभी) जाति ब्राह्मण निवासी मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. भरतपुर विकास प्राधिकरण (तत्कालीन नगर सुधार न्यास, भरतपुर) जरिये सचिव महोदय
2. तहसीलदार भरतपुर बहैसियत लैण्ड होल्डर

.............असल रेस्पोडेन्ट

3. कान्ता पुत्री चन्द्रभान पत्नी नरेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी देवरी पोस्ट जगनेर तहसील खेरागढ़ जिला आगरा
4. कमलेश पुत्री चन्द्रभान पत्नी सतीश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गौंहजा मौहल्ला, कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

.........तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 115/2014 बउनवानी चन्द्रभान वगै. बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री मनोज कुमार अवार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 115/2014 बउनवानी चन्द्रभान वगै. बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2025, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2663 रकबा 0.39 हैक्टेयर चक नम्बर 03 कस्बा भरतपुर में स्थित है जिसके वादीगण बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट/वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त विवादित आराजी में होकर अपने नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है। जो नल एण्ड वोइड है तथा उसे कलमजन कर नक्शे को दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी व कब्जे की उक्त भूमि मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें व उसमें रास्ते सड़क आदि निकालकर भूमि खण्ड को नष्ट–भ्रष्ट न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.03.2025 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अवार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट्स विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2663/0.39 हैक्ट. वाके ग्राम चक नं. 3 कस्बा भरतपुर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 का इससे कोई संबंध सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 तत्कालीन नगर सुधार न्यास भरतपुर के द्वारा जो प्लानिंग की गई है, वह आराजी खसरा नम्बर 2556 व 2557 मे की गई है, रेस्पोडेन्ट के ये खसरा नम्बर अपीलान्ट के खसरा नम्बर 2663 के बिल्कुल चिपटेमा हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा जारी किये गये अपने नक्शे में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 2663 में रास्ता दर्शाया गया है जो कि अवैधानिक है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन नहीं किया गया है, अपीलान्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा जारी किये गये अवैधानिक नक्शे की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, उसमें यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपीलान्ट्स के खातेदारी व कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 2663 में रास्ता कायम करके अपीलान्ट्स की भूमि को ही दो हिस्सों में बांट दिया है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा कायम किये गये रास्ते के दोनों ओर अपीलान्ट्स की उक्त खसरा नम्बर की भूमि है इस प्रकार से रास्ता बनाकर विवादित आराजी को दो हिस्सों में बांटकर उसे अनुपयोगी बनाने का रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न करके जो निर्णय व डिक्री पारित किया है वह काबिल खारिजी के है तथा बिना किसी आधार व विधि–विधान के अपीलान्ट्स की भूमि को भू–माफियाओं की तर्ज पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा हड़पा जा रहा है, परन्तु न्यायालय तहत द्वारा विवाद के मुख्य बिन्दू पर अपने निर्णय में कुछ नहीं लिखा है, इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करके जो निर्णय दिया गया है वह प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड व काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी नं. 2 का निर्णय देने में कानूनी भूल की है. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अपनी प्लानिंग का जो नक्शा जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से अपीलांटान के खसरा नं. 2663 में रास्ता बनाकर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया है. यह एक दस्तावेजी साक्ष्य है, जो कि पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उपस्थित है. परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस दस्तावेजी साध्य को नजरंदाज करके उक्त तनकी के निर्णय में यह लिख दिया है कि रेस्पो० सं. 1 के द्वारा अपीलांटान के खसरा नं. 2663 में कोई रास्ता कायम नहीं किया गया है. अधी० न्यायालय का यह निष्कर्ष एकदम निराधार व पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य के विपरीत है. अधी० न्यायालय के द्वारा तनकी नं 2 के किये गये निर्णय से अपीलांटान की भूमि को छीनकर अवैधानिक तरीके से रेस्पो० सं. 2 को हडपने के लिये खुली छूट दे दी गई है. इस प्रकार जानबूझकर आंखें बन्द करके अधी० न्यायालय ने तनकी नं. 2 का निर्णय देकर अपीलांटान के हकों को समाप्त करने का कार्य किया है, यह कृत्य विधि विरुद्ध है व काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 का निर्णय देने में भारी भूल की है, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्यों तथा रेस्पो० सं. 1 द्वारा निर्मित नक्शे से यह स्पष्ट होता है कि कि रेस्पो० सं. 1 अपीलांटान की खातेदारी काश्तकारी की भूमि को हडपने का प्रयास कर रहा है. इससे अपीलांटान को भारी क्षति व अशांति पैदा हो गई है। इसलिये एक खातेदार को अपनी भूमि को रेस्पो० सं. 1 से बचाने व उसकी सुरक्षा बाबत दावा कर रेस्पो० सं. 1 को स्थायी निशेषाधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराने का पूरा अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 4 का विवेचन दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तनकी का निर्णय करते वक्त पत्रावली पर उपस्थित नक्शे का गहनता से निरीक्षण करना चहिये था। यह सही है कि रेस्पो० सं. 1 के द्वारा अपनी प्लानिंग खसरा नं. 2556 व 2557 में की जा रही है. परन्तु रेस्पो० सं. 1 के द्वारा अपनी इस प्लानिंग में रास्ता अपीलांटान की खातेदारी के खसरा नं. 2663 में दर्शाकर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया है. ऐसा करने का रेस्पोडेन्ट सं. 2 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिये तनकी सं. 4 का निर्णय मात्र कयास के आधार पर करके अपीलांटान के हकों को समाप्त करने के लिये कर दिया है, जो कि विधि विरुद्ध है व काबिल खारिजी के है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि यह है कि दिनांक 03.02.2025 को अधी० न्यायालय के द्वारा पत्रावली में बहस सुनकर निर्णय के लिये दिनांक 10.02.2025 नियत की गई. अपीलांटान को दिनांक 10.02.2025 को निर्णय नहीं सुनाया गया. अपीलांटान ने जब इस बारे में पेशगार जी से पूछा, तो बताया गया कि निर्णय के लिये कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है. निर्णय रिजर्व में है, जैसे ही पीठासीन अधिकारी महोदय के पास से पत्रावली आयेगी, तुरन्त आपको बता दिया जावेगा. इसके बाद अपीलांटान अनेकों बार न्यायालय में गया, परन्तु निर्णय के बारे में हमेशा यही कहा गया कि निर्णय अभी रिजर्व में रखा है. इसके बाद मई में जब अपीलांटान पीठासीन अधिकारी से फिर मिले, तो उन्होंने बताया कि पत्रावली को पुनः बहस में लगा दिया गया है. उसमें कोई तारीख पेशी लगा दी गई है. जानकारी करलें। इस पर अपीलांटान जानकारी करते रहे, परन्तु आगामी पेशी बावत कोई जानकारी नहीं हो पाई, तब एक बार फिर अपीलांटान अपने अधिवक्ता के साथ पत्रावली के बारे में जांच करने के लिये दिनांक 18.06.2025 को न्यायालय में गये, तो पत्रावली को ऑफिस में ढुंढबाया और उसे निकलवाकर देखा, तो पता चला कि दावा का निर्णय तो दिनांक 03.03.2025 को ही कर दिया गया है. इस पर तुरन्त प्रभाव से दिनांक 18.06.2025 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर, उसी दिन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की व तब उसे पढ–समझकर पता चला कि अपीलांटान का दावा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार से निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांटान को दिनांक 18.06.2025 को हुई है. अतः जानकारी के दिनांक 18.06. 2025 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील को अंदर म्याद माना जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र म्याद को स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए जानकारी जानकारी के दिनांक 18.06.2025 से अंदर म्याद माना जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.03.2025 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का दावा स्वीकार करते हुए उसे डिक्री किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2663 में कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। अनुमोदन ले–आउट प्लान के अनुसार खसरा नम्बर 2657 में कोई भूखण्ड अथवा रोड़ निर्मित नहीं है। इसी प्रकार वर्णित खसरा नम्बर 2663, 2656 व 2657 में भी कोई प्लानिंग नही हो रही है। वादीगण अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के मुश्तहक नहीं है। न्यास के कर्मचारियों द्वारा वादीगण को कोई धमकी नहीं दी गई। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 25.06.2026 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया एवं न ही काउन्टर क्लेम किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपीलान्ट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया वादीगण स्वंय को हाल ख0न0 2663/0.39 है० कस्बा भरतपुर चक न० 3 पर खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है। .....वादी

तनकी सं. 2 :– आया हाल ख0न0 2663/0.39 है० पर प्रतिवादी संख्या 01 ने इसके नक्शा में रास्ता दर्शित करा दिया है। वादी उसे नल एण्ड वाईड घोषित करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तनकी सं. 3 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है। .....वादी

तनकी सं. 4 :– आया ख0न0 2663 पर यू.आई.टी की कोई प्लानिंग नहीं है। .....प्रतिवादी

तनकी सं. 5 :– आया दिनांक 06.05.14 को कोई धमकी नहीं दी गयी। .....प्रतिवादी

तनकी सं. 6:– दादरसी?

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 से खसरा नम्बर 2663 रकवा 0.39 है० किस्म बारानी में खातेदार काश्तकार वादीगण दर्ज रिकॉर्ड है। इससे यह तनकी वाहक वादी सिद्ध होती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में गवाह के रुप में रामजीलाल पुत्र स्व. लहरीचरन, पी. डब्लू–1 का शपथ–पत्र पेश किया है लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा पेश शपथ–पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ नहीं है एवं ना ही इनसे जिरह की गयी है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 वाके कस्बा भरतपुर चक नं. 3, ले–आउट प्लान नक्शा भरतपुर एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए है एवं ना ही उक्त दस्तावेज को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :–

208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवाय:–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब वे न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2025 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल (भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उपर्युक्त विवेचन के क्रम में पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार तनकी सं. 1 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। नकल नक्शा भरतपुर चक न० 3 के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि वादी के ख0न0 2663 में से रोड नहीं निकाली गयी है। जो रोड निकाली गयी है वह नगर सुधार न्यास की अवाप्त शुदा भूमि से निकाली गयी है। इससे यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि तनकी सं. 1 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है। उसी अनुसार तनकी सं. 2 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। चूंकि तनकी संख्या 02 विरूद्ध वादी निर्णित की गई है। इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इससे यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या 1 व 2 के परिप्रेक्ष्य में तनकी सं. 3 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। नकल जमाबन्दी में आ.ख.न. 2663/0.39 है० वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल नक्शा में भी ख.न. 2663 पर यू. आई.टी की कोई प्लानिंग नहीं है। जो प्लानिंग की गई है वह नगर सुधार न्यास की भूमि में है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादी सिद्ध होती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सं. 1, 2 व 3 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है। इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में तनकी सं. 4 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 5 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। जबाब दावा में प्रतिवादी द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है। और जब खसरा नम्बर 2663 पर यू.आई.टी. की कोई प्लानंग नहीं है। जो प्लानिंग की गई है वह नगर सुधार न्यास की भूमि में है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादी सिद्ध होती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 लगायत 4 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय है। इसलिए उक्तानुसार तनकी सं. 5 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रक्रियात्मक कानून की पालना कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूत लेकर, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नये सिरे से पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष दिनांक 18.06.2026 को पेश होवें।
11. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर